न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर

पीठासीन अधिकारी :—श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 94/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/210

अपीलान्ट

1. पेम्पोदेवी पुत्री रामाराम पत्नी गोमाराम निवासी उटाम्बर तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. ओमाराम पुत्र भीकाराम
2. कानाराम पुत्र भीकाराम
3. चैनाराम पुत्र भीकाराम
4. नारायणराम पुत्र भीकाराम
5. रूगाराम पुत्र भीकाराम
6. विशनाराम पुत्र भीकाराम
7. लादू पत्नी भीकाराम
8. समदा पुत्री भीकाराम नाबालिंग सरंक्षक लादू पत्नी भीकाराम
9. मांगाराम पुत्र बाबुराम
10. हेमाराम पुत्र रामाराम निवासी उटाम्बर तहसील बालेसर जिला जोधपुर
11. सरपंच ग्राम पंचायत उटाम्बर पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत उटाम्बर नामान्तरकरण संख्या 258 दिनांक शुन्य के विरूद्व अपील

अधिवक्तागण :—

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री लुम्बाराम चौधरी।
2. रेस्पोडेन्टगण 1 से 10 अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही।

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 11/2/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा एक म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:—

वक्त सेटलमेन्ट ग्राम उटाम्बर/अनोपसिंहनगर पटवार हल्का उटाम्बर तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 232, 695, 706, 708, 230, 231 की भूमि मे रामा रावत पिता रीमा के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ। जो खातेदारी संवत् 2034 से 2037 तक यथावत चली अपीलांट के पिता रामा पुत्र रीमा का देहान्त 1983 मे हुआ था स्वर्गीय रामा के विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ... /पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके अपी... क... व हिस्से की भूमि भी अपने नाम से दर्ज करवा दी और अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं क... गया जो नामान्तकरण संख्या 258 रेस्पोडेन्ट संख्या 11 द्वारा स्वीकृत किया गया था। ... न्तकरण संख्या 258 स्वीकार करते समय स्वर्गीय रामा के विधिक वारिसान की जॉच नही की ... न ही अपीलान्ट को किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:34:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Scanned with OKEN Scanner

नोटिस दिया गया। अपीलान्ट द्वारा विवाधित नामान्तकरण को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अपील के साथ अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि अपीलान्ट अनपढ महिला है अपीलान्ट जन्म से लेकर आज तक ग्राम उटाम्बर मे अपनी पैतृक भूमि मे निवास करती है अपीलान्ट को यह जानकारी नही थी। अपीलान्ट को विश्वास था कि रेस्पोडेन्टगण के साथ अपीलांट का नाम भी दर्ज होगा। हाल ही मे दिनांक 24.05.2023 को रेस्पोडेंटगण ने अपीलान्ट व अपीलान्ट के परिवार के साथ झगडा प्रारम्भ कर दिया गया। पैतृक भूमि की नकल प्राप्त करने के लिए दिनांक 19.06.2023 को आवेदन पेश किया दिनांक 20.06.2023 एवं दिनांक 16.08.2023 को सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी की नकल प्राप्त हुई। दिनांक 16.08.2023 को राजस्व नकले प्राप्त होने पर उक्त अपील को अन्दर म्याद सुमार करवाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगणों को नोटिस जारी किया गया। रजिस्टर ए.डी की रसीदे शामिल मिसल है। रेस्पोडेन्टगण को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु अवसर दिये जाने के बावजुद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली में बहस की गई। बहस सूनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। हमने उक्त पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के संलग्न धारा 05 म्याद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका अवलोकन किया गया। जिसमें अपीलान्ट द्वारा यह अंकित किया गया है कि अपीलान्ट को राजस्व रेकर्ड की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.08.2023 को हुई। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के आधार पर अपीलान्ट का धारा 05 म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और उक्त अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि स्व. रामाराम के विधिक वारीसों की बिना जॉच किये अपीलाधीन नामान्तकरण पारित किया गया है। अपीलान्ट नामान्तकरण मे स्व. रामाराम की पुत्री का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिऐ था। अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत) द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 258 दिनांक शुन्य प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के मध्यनजर विधि विपरित होने के कारण न्यायसंगत प्रतीत नही होता है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है।

अतः अपील अपीलान्टगण की स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत उटाम्बर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण 258 दिनांक शुन्य मौजा उटाम्बर को अपास्त किया जाकर तहसीलदार बालेसर को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वो इस प्रकरण में स्व. रामाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसो की जांच करते हुए पुनः नामान्तरकरण भरने की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति तहसीलदार बालेसर को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 11/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:34:23 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Scanned with OKEN Scanner